

::आदेशः

Tehri

Bhansali
Tehri

सचिव आपदा प्रबन्धन, कार्यक्रम निदेशक यू०डी०आर०पी० एवं यू०ई०ए०पी० की अध्यक्षता में दिनांक 24.7.2018 के सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त Ref :/9/ /PMU/2018/UDR Dehradun, Date:31,JULY 2018 एच०पी०सी० के द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के साथ विचार-विमर्श एवं बैठक के दौरान लिये गये निर्णय में से बैठक में विन्दु संख्या-08 के सम्बन्ध में विश्व बैंक पोषित योजना, यू०डी०आर०पी०(Additional Financing) के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलगना में उत्तरकाशी-लम्बगांव-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग के किमी० 98.00 में हनुमान मन्दिर के समीप 50मी० स्पान मोटर सेतु निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया।

2- उक्त के क्रम में उप जिलाधिकारी घनसाली द्वारा अपने पत्र संख्या-588/र.अह.-सं.नि. (2018-2019) दिनांक, घनसाली, अगस्त, 14, 2019 द्वारा जनपद के विकासखण्ड भिलगना में उत्तरकाशी-लम्बगांव-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग के कि०मी० 98.00 में हनुमान मन्दिर के समीप 50 मी० स्पान के मोटर मार्ग सेतु निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को चयनित हस्तान्तरित किये जाने हेतु तहसील घनसाली के अन्तर्गत चयनित भूमि प्रस्तावित की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्वा (हे० में)	भूमि की किस्म :-
1	2	3	4	5	6
गिरगांव	कैमर	1/21	249म०	0.024	उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी-9 (3)ड.
घनसाली	फैगुल	4	2म०	0.018	
			5म०	0.018	
योग				0.060	

3- अतः शासनादेश संख्या-260/ वित्त अनुभाग - 3/2002 दिनांक 15 फरवरी 2002 एवं शासनादेश संख्या-111XXVII(7)50(39)-2015/2014 दिनांक 9 जुलाई 2015 की शर्तों एवं प्राविधानों के तहत एवं उल्लिखित शासनादेशों के अधीन उपरोक्त प्रस्तर-2 में वर्णित भूमि को विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग टिहरी के पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है।

- 1- भूमि का हस्तान्तरण बिना मूल्य के किया जाएगा। वन मामलों में भूमि का नजराना मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान, किया जा चुका हो तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तान्तरण किया जाय जितना कार्य विशेष के लिए आवश्यक हो।
- 3- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं होनी चाहिए।

अ. लम

क्रमशः-2

श्री विनायक
संवेद्यत स्टाफ
में पुराकृत रजि.
30/6/18

यदि भूमि वन विभाग की रक्षित वन भूमि हो तो वह हस्तान्तरण के बाद भी रक्षित वन भूमि बनी रहेगी। रक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण से सम्बन्धित ग्रामवासियों की कोई आपत्ति न हो और हस्तान्तरित भूमि के उपयोग करने में साथ में लगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नहीं करायी जायेगी।

- 5- वन विभाग दूसरे रोवा विभाग से हस्तान्तरित भूमि का कोई मूल्य नहीं लेगा, लेकिन यदि उस भूमि पर पेड़-पौधादि अन्य सम्पदा हो तो याचक विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त सम्पदा का मूल्य भुगतान करना पड़ेगा।
 - 6- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से गिन्ना प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसे मूल राजस्व विभाग से पुनः आवेदन प्राप्त करना होगा और यदि भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्ष तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है, तो उसके मूल विभाग राजस्व विभाग को वापस करना होगा।
 - 7- यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।
- कृपया उपर्युक्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(डा० वी० षण्मगम)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी, जिला टिहरी गढ़वाल।

संख्या- 1034/XI-100(2018-2019) दिनांक नई टिहरी सितम्बर 22, 2019
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम निदेशक यू०डी०आर०पी० एवं यू०ई०ए०पी० देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3- सचिव राजस्व, अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 4- उप जिलाधिकारी धनसाली।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।
- 6- तहसीलदार धनसाली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राजस्व अभिलेखों में याचक विभाग के नाम अमलदस्तावेज कर प्रत्येक भूमि का सीमांकनोपरान्त कब्जा हस्तगत करें।

20.10.19
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।